Traders registered with Tobacco Board

1498. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) what is the number of traders registered with the Tobacco Board;

(b) what are their total bank limits; and

(c) what is the total quantity contracted by them to export as well as to supply to the cigarette manufacturers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) Total number of Traders Registered with the Board for 1993 as on' 30-4-93 is 927.

(b) Details of bank limits enjoyed by the above said traders are not readily available. However, the amounts of Bank GuaranteelLetter of Standing Instruc*'ons submitted by the traders towards purchase ot tobacco from the Auction floors have totalled to Rs. 196 crores as on 4-5-1993.

(c) According to the information gathered from the trade, contracts signed so far for FCV tobacco this year amounted to approximately 8000 tonnes. No dealerl exporter have informed the Board the quantities contracted by them for supnplying to the cigarette manufacturers.

निर्यात की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किसानों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु विधेयक

1499. श्री महेश्वर सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यात उत्पादों की उच्च कोटि को बनाए रखने के उद्देश्य से "एपीडा" द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों के निर्यात से उपकर के रूप में प्राप्त धनराशि को "एपीडा" के ही माध्यम से संबंधित किसानों, बागवानों तथा व्यापारियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए संसद में एक विनियोग विधेयक लाने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद उपकर अधिनियम, 1985 (1986 का 3) के अंतर्गत, सीमा शुल्क से प्राप्त आय को पहले भारत की समेकित निधि में डाला जाएगा और यदि संसद इस संबंध में कानून द्वारा किये गए विनियोग के जरिये ऐसा प्रावधान कर दे तो केन्द्रीय सरकार वसूली पर हुए व्यय को घटाकर उस आय का भुगतान समय-समय पर उक्त प्राधिकरण को कर सकेगी जिस धनराशि को सरकार उचित समझे कि उसका उपयोग एपीडा अधिनियम, 1985 के उद्देश्यों के लिए किया जाना उचित है। वर्ष 1993-94 के लिए बजट प्राक्कलन 1993-94 में एपीडा के लिए 623 लाख रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

चीनी का निर्यात

1500. श्रीमती सुषमा स्वराज:
श्री श्री राम जेटमलानी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों से देश में आर्थिक मोर्चे में घाटा होने के बावजूद चीनी का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पेराई के पिछले दो मौसमों अर्थात् 1990-91 और 1991-92 के दौरान चीनी की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया तथा वर्षवार कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त वर्षों में चीनी के निर्यात के लिए एकाधिकार क्षेत्र जिम्मेदार है;

(घ) यदि हां, तो चीनी का निर्यात करने वाली उन संस्थानों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक द्वारा चीनी की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया;

(ङ) क्या यह भी सच है कि पेराई वर्ष 1992-93 के दौरान विश्व में चीनी के उत्पादन में भारी गिरावट आई है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने चीनी की उक्त कमी को देखते हुए चीनी निर्यात हेतु ऐसी कोई योजना बनायी है जिससे पिछले वर्षों के घाटे को पूरा किया जा सके; और

(छ) क्या सरकार चीनी के निर्यात के संबंध में उदारीकरण की नीति अपनाने का विचार रखती है जिससे अधिकतम लाभ अर्जित किया जा सके?

नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (छ) दी इंडियन शुगर एंड जनरल इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट-इंपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड को, जो देश में सभी चीनी मिलों का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष निकाय है, चीनी निर्यात संवर्धन अधिनियम, 1958 के उपबंधों के अंतर्गत चीनी के निर्यात का दायित्व सौंपा गया है। चीनी के संभावित आयातकों के साथ संविदा करते समय ई आई एस जी आई आई सी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह चीनी के निर्यात के लिए अपने वाणिज्यिक स्वविवेक का प्रयोग करें। अतः हानि/लाभ का हिसाब निर्यातक अभिकरण अर्थात् आई एस जी आई ई आई सी फैक्टरियों को दी गई कीमतों, प्रशासनिक व्यय आदि तथा बिक्री होने वाली वसूलों के सन्दर्भ में लगाया रखते हैं आई एस जी आई ई आई सी ने वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान एफ ओ बी लागत तथा अधिप्राप्ति की सूचना दी है, जो निम्नानुसार है—

वर्ष	एफ ओ बी लागत रु.प्र.मी. टन	अधिप्राप्ति (रु.प्र.मी. टन)
1991-92	8472	8104
1992-93	8950	8440

वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान निर्यात की गई चीनी की मात्रा नीचे दी गई है:

वर्ष	मात्रा
1991.92	5.07 लाख मी. टन
1992-93	3.76 लाख मी. टन

यह सच है कि पिराई वर्ष 1992-93 में विश्व के चीनी उत्पादन में कमी की प्रवृत्ति का अनुमान लगाया गया है। वित्तीय वर्ष 1993-94 में सरकार ने निर्यात के लिए अनंतिम रूप से 2.5 लाख मी. टन की मात्रा निर्धारित की है। चूंकि चीनी आम खपत की मद है, अतः इसका अत्यवस्थित निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वर्ष के शुरू में पिछले बचे हुए पर्याप्त स्टाक तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने की अत्यधिक आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने/मौजूदा नीति के प्रावधानों के अंतर्गत चीनी का निर्यात करने की अनुमति दी है।

सरकार का इस समय चीनी के निर्यात संबंधी नीति को और उदार बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, ताकि चीनी की आंतरिक उपलब्धता और कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

Meeting with Tobacco Traders and Exporters

1501. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a meeting of tobacco traders and exporters was convened on the 16th April, 1993 in Udyog Bhavan,

(b) if so, what are the details thereof including the signal given by the trade; and

(c) what were the average prices existing before the meeting and what are the prices after the meeting ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE- MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) and (b) Yes, Sir. A meeting was held in the Ministry of Commerce on 16-4-93 in which the manufacturers and exporters of tobacco and cigarettes were advised to step up their purchases at the auction plantforms in Andhra Pradesh. The trade indicated that the lower offtake as compared to the last year was basically due to lack of Russian export orders.

(c) The soil-wise average prices before and after the meeting are indicated below: